फा.सं. 3/3/2018-DIPAM-II VOL.III
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक 22 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र का निर्धारण - सीजीएएम के गठन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस)/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूस)/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों तथा शत्रु अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु क्रियाविधि और तंत्र निर्धारित करने के बारे में इस विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

2. परिसंपत्ति मुद्रीकरण संबंधी सचिवों का प्रमुख दल (सीजीएएम), परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के एक भाग के रूप में मुख्य निर्णयकर्ता निकायों में से एक है।

3. मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित संरचना के साथ सीजीएएम के गठन का अनुमोदन किया है :

(i) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष
(ii) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
(iii) सचिव, राजस्व विभाग
(iv) सचिव, व्यय विभाग
(v) सचिव, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
(vi) सचिव, लोक उद्यम विभाग
(vii) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(viii) सचिव, विधि कार्य विभाग
(ix) सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भू-परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के मामले में)
(x) सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग

4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में सीजीएएम को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थागत ढांचे में किसी अनुवर्ती परिवर्तन की सिफारिश सीसीईए को करना।
(ii) सीपीएसई के चयन और सीपीएसईस की परिसंपत्तियों और शत्रु अचल संपत्तियों के चयन से संबंधित प्रस्तावों जिन्हें अंतर-मंत्रालय दल ने सीजीएएम को संदर्भित किया हो, की वैकल्पिक तंत्र को सिफारिश करना ।
(iii) वैकल्पिक तंत्र को परिसंपत्तियों के मूल्य और/या किसी अन्य मानदंड के आधार पर एक मानक की सिफारिश करना जिससे उन परिसंपत्तियों का निर्धारण होगा जिनका मुद्रीकरण इस तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

(iv) वैकल्पिक तंत्र को परिसंपत्ति मुद्रीकरण की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने की सिफारिश करना।

(v) वर्ष में कम से कम दो बार परिसंपत्ति निगरानी कार्यक्रम का आवधिक पर्यवेक्षण और निगरानी।

(vi) सौदा प्रक्रिया में परिवर्तन, यदि कोई हो, पर विचार करना।

5. दीपम, सीजीएएम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

6. इसे वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

जगदीश कुमार

(जगदीश कुमार)
उप निदेशक
टेली. नं. 011-24368036

सेवा में

1. श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. श्री ए.बी. पाण्डेय, सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. श्री गिरीश चन्द्र मुर्मु, सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. श्रीमती सीमा बहुगुणा, सचिव, लोक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
6. श्रीमती इंजैती श्रीनिवास, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. श्री आलोक श्रीवास्तव, सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि : सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।